निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 आषाढ़ 1937 (श0)

(सं0 पटना 821) पटना, वृहस्पतिवार, 16 जुलाई 2015

गृह विभाग
(विशेष)

अधिसूचना
15 जुलाई 2015

एस0ओ0 165, दिनांक 16 जुलाई 2015—चूँकि गृह विभाग (विशेष) की अधिसूचना संख्या–बी0/पु0 फायरिंग–01/2011–10868 दिनांक 22.06.2011 द्वारा लोक महत्व के विषय अर्थात 3 जून 2011 को अररिया जिला के फारबिसगंज में गोली चालन की घटना के न्यायिक जांच के लिए बिहार के राज्यपाल ने कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट–1952 (सं0–60/1952) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायिक जांच आयोग गठित किया है। आयोग की अवधि अधिसूचना निर्गत की तिथि (दिनांक 22.6.2011) से छः महीने के लिए यानि 22.12.2011 तक निर्धारित की गई थी। आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस न्यायिक जाँच आयोग की अवधि विस्तार विभागीय अधिसूचना सं0–601 दिनांक 17.01.2012 द्वारा दिनांक 22.12.2011 से 31.12.2012, विभागीय अधिसूचना संख्या–15381 दिनांक 21.12.2012 द्वारा दिनांक 01.01.2013 से 31.12.2013, विभागीय अधिसूचना संख्या–11642 दिनांक 30.12.2013 द्वारा दिनांक 01.01.2014 से 30.09.2014 , विभागीय अधिसूचना संख्या–9945 दिनांक 22.10.2014 द्वारा दिनांक 01.10.2014 से 28.02.2015 एवं विभागीय अधिसूचना सं0–5500 दिनांक 15.05. 2015 द्वारा दिनांक 01.03.2015 से 30.06.2015 तक की गई थी। इस न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष एकल सदस्य श्री माधवेन्द्र शरण (सेवानिवृत) न्यायमूर्ति, पटना उच्च न्यायालय, पटना हैं।

2. और चूँकि बिहार–राज्यपाल को समाधान हो गया है कि उपर्युक्त जांच संबंधी कार्य पूरा करने के लिए दिनांक 01.07.2015 से 31.08.2015 तक के लिए अवधि विस्तार की आवश्यकता है।

3. अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल उपरोक्त न्यायिक जाँच आयोग की अवधि को दिनांक 01.07.2015 से 31.08.2015 तक विस्तारित करते हैं।

(सं0 बी0/पु0फायरिंग–01/2011––7776/सी0)

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

जितेन्द्र कुमार,

सरकार के विशेष सचिव।

15 जुलाई 2015

एस0ओ0 166, एस0ओ0 165, दिनांक 16 जुलाई 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं0 बी0/पु0फायरिंग–01/2011––7776/सी0)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

The 15th July 2015

S.O. 165 dated the 16th July 2015—Whereas vide Home Department (Special) Notification No. B/Pol.firing-01/2011-10868 Dated 22nd June 2011, the Governor of Bihar was pleased to constitute an Enquiry Commission under the Commission of Enquiry Act (No. 60, 1952) for inquiring into the incident of police firing, which took place on 3rd June, 2011 at Forbesganj in Araria district. The term of the commission was fixed for 6 months from the date of notification i.e. 22-6-2011 to 22-12-2011. Keeping in view of further necessity of the commission to complete the enquiry the time extension was given from dt.-22.12.2011 to 31.12.2012 through Home Department Notification no.-601 dt.-17.01.2012, from dt. 01.01.2013 to 31.12.2013 through Department Notification 15381 dt. 21.12.2012, from dt. 01.01.2014 to 30.09.2014, through Department Notification No. 11642 dt. 30.12.2014, from dt. 01.03.2015 to 30.06.2015 through Department Notification No. 9945 dt. 30.06.2015 and from dt. 01.03.2015 to 30.06.2015 through Department Notification No. 5500 dt. 15.05.2015. Shri Madhavendra Saran (Retd.) Hon'ble Justice to Patna High Court, Patna is the Chairman of the Commission.

2. Further, whereas, the Governor of Bihar is pleased to decide that in order to complete the enquiry, the Commission requires to be given further extension of tenure from 01.07.2015 to 31.08.2015.

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by section-3 of Act no. 60 of 1952, the Governor of Bihar is pleased to extend the period of the Commission of enquiry from 01.07.2015 to 31.08.2015.

(No. B/Pol.firing-01/2011—7776/C.)
By order of the Governor of Bihar,
JITENDRA KUMAR,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 821-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in